



Gram : RAJCERTIFY

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर
**RAJASTHAN STATE SEED & ORGANIC PRODUCTION
CERTIFICATION AGENCY, JAIPUR**


Regd. & Head Office : 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005
Tel. No. : 0141-2227104, 2227456 (Fax) : 2227315 / Email : dir_rssopca@rediffmail.com.in

Ref. No. : एफ.2 (32) बीप्रसं/स्टोर्स/जयपुर/2018/ 786

Date: 24/4/18

नीलामी – सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्था के पंत कृषि भवन, तृतीय तल पर स्थित कार्यालय का स्थाई/अनुपयोगी अप्रचलित निस्तारण योग्य सामान जैसे फर्नीचर, फोटो कॉपी मशीन, कम्प्यूटर, कुलर, इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रीक सामान इत्यादि की नीलामी खुली बोली द्वारा दिनांक 09.05.2018 को दोपहर 12:30 बजे की जाएगी। सामान व नीलामी की अन्य शर्तें कार्यालय में या संस्था की वेबसाईट www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca पर देखी जा सकती है।


(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था
(ISO 9001:2015 Certified)
पंत कृषि भवन, जनपथ जयपुर-302005

एफ-2 (32) बीप्रसं/स्टोर्स/जयपुर/2018/

दिनांक.....

नीलामी - सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे मुख्यालय स्टोर्स में संस्था की स्थाई व अनुपयोगी अप्रचलित निस्तारण योग्य सामान, कुर्सी, मेज, डुप्लो रिजोग्राफ मशीन, कुलर, फोटो स्टेट मशीन, कम्प्यूटर, कलर प्रिन्टर, विंडो एसी, इत्यादि सामान जिसकी मात्रा/स्थिति कार्यालय समय में देखी जा सकती हैं, इनका बेचान/निस्तारण खुली बोली द्वारा दिनांक 09.05.2018 को दोपहर 12:30 बजे तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ कार्यालय परिसर में किया जायेगा।

अतः उक्त समय पर उपस्थित हो बोली लगावें। बोली की शर्तें निम्न प्रकार से हैं।

1. बोली में भाग लेने से पूर्व बोली कर्ता को कमेटी के पास रू. 5000/- की राशि नकद जमा करानी होगी। जो बोली के खत्म हो जाने के बाद असफल बोली दाताओं को तुरन्त वापस कर दी जावेगी।
2. अधिकतम बोली कर्ता को बोली की पूरी राशि नकद उसी समय/दिन को जमा करानी होगी।
3. अधिकतम बोलीकर्ता को अपने साधन से कार्यालय से उक्त सामान 3 दिवस में उठाना होगा।
4. माल की उठवाई, तुलवाई व अन्य समस्त व्यय माल उठाने वाली पार्टी के होंगे।
5. निस्तारण योग्य सामान जो जहां जिस स्थिति में है वही उसी स्थिति में उठाना होगा।
6. बोली छोड़ने, ना छोड़ने पर निरस्त करने का समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. नीलामी की तिथी से 3 कार्य दिवस के अन्दर माल न उठाने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।


787-90

24/4/18

(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. लेखा शाखा मुख्यालय, जयपुर।
2. नोटिस बोर्ड - कृषि भवन, संस्था मुख्यालय नोटिस बोर्ड, जयपुर।
3. कमेटी सदस्य


निदेशक